



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 8] नई दिल्ली, शनिवार, फरवरी 20—फरवरी 26, 2016 (फाल्गुन 1, 1937)
No. 8] NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 20—FEBRUARY 26, 2016 (PHALGUNA 1, 1937)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4

[PART III—SECTION 4]

[सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं]

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

दिल्ली—110052, दिनांक 18 दिसम्बर 2015

सा. आ. संख्या एसीसी/दि.वउ./वीसी/1(4)/2009/1475—केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त को यह प्रतीत होता है कि निम्नलिखित स्थापनाओं से संबंधित नियोक्ता तथा कर्मचारियों का बहुमत इस बात से सहमत है कि कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 (1952 का 19) के उपबन्ध उक्त स्थापनाओं पर लागू किये जायें :—

क्रम सं.	कोड संख्या	स्थापना का नाम	व्याप्ति की तिथि
क्षेत्र : दिल्ली (दक्षिण)			
1.	डीएस/एनएचपी/1065042	मैसर्स कृतवी प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	01.12.2014
2.	डीएस/एनएचपी/1305518	मैसर्स आचविस आई टी एसईजेड इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड	01.04.2015
3.	डीएस/एनएचपी/1064697	मैसर्स भारत रुरल लाईवलीहूड्स फाउंडेशन	01.01.2015
4.	डीएस/एनएचपी/1040084	मैसर्स बीएसबी एड्ज प्राइवेट लिमिटेड	01.10.2014
5.	डीएस/एनएचपी/940978	मैसर्स एलाइन्स रीजनल टेकनिकल सपोर्ट हब	01.04.2013
6.	डीएस/एनएचपी/943253	मैसर्स दलित फाउंडेशन	01.04.2013

क्षेत्र : दिल्ली (उत्तर)			
7.	डी एल./सीपीएम/43585	मैसर्स स्वीट्स एण्ड जेत्लिंगर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	10.03.2012
8.	डी एल./सीपीएम/44537	मैसर्स सेंट्रल सिविल सर्विसेस कल्चरल एण्ड स्पोर्ट्स बोर्ड	01.03.2013

अतः केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त, उक्त अधिनियम की धारा 1 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त स्थापनाओं पर अधिनियम को उनके नाम के सामने दर्शायी गई तिथि से लागू करते हैं।

कै. एल. तनेजा
अपर केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त (दिव उ.)

वास्तुकला परिषद्
(भारत सरकार का एक सांविधिक निकाय)

नई दिल्ली-110003

वार्षिक रिपोर्ट-2014-2015

वास्तुकला परिषद् वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन गठित किया गया एक सांविधिक निकाय है। परिषद् को 31.03.2015 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए परीक्षित लेखा विवरण सहित अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है।

संगठनात्मक संरचना :

वास्तुकला परिषद् का अध्यक्ष संगठन का प्रमुख होता है जिसके समग्र प्रभार के अधीन परिषद् काम करती है। प्रो. उदय गडकरी वास्तुकला परिषद् के अध्यक्ष हैं।

सांविधिक तथा अन्य समितियां :

वास्तुविद् अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए विनियमों के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए परिषद् ने सांविधिक समितियां गठित की हैं, यथा कार्यकारिणी समिति, जो परिषद् के कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में काम करती है, अनुशासन समिति, जो शिकायतों की जांच-पड़ताल करती है और वास्तुविदों के व्यावसायिक कदाचार के संबंध में जांच करती है, सलाहाकार समिति (अपील) जो उन आवेदकों की अपीलों की सुनवाई करती है जिनके पंजीकरण के मामले परिषद् द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं। इनके अलावा, विशेष / खास प्रयोजनों के लिए समय-समय पर अन्य समितियां गठित की जाती हैं।

परिषद् ने विदेशी अर्हताओं की मान्यता हेतु केंद्र सरकार से प्राप्त संदर्भों की जांच हेतु उप-समिति गठित की है।

कार्यकारिणी समिति ने बी.आर्की पाठ्यक्रम को प्रारम्भ करने के लिए नए संस्थानों से तथा विस्तार अनुमोदन/अतिरिक्त इन्टेक के लिए वर्तमान संस्थानों से प्राप्त प्रस्तावों/आवेदनों की संवीक्षा करने हेतु संवीक्षा समिति भी गठित की है।

परिषद् और उसकी समितियों की बैठकें :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् की दो बैठकें हुईं। 62वीं बैठक 02.09.2014 को दिल्ली तथा 63वीं बैठक 06.02.2015 को अलीबाग, महाराष्ट्र में आयोजित हुईं।

वर्ष 2014-2015 के दौरान, कार्यकारिणी समिति की 14वीं बार बैठक हुई अर्थात् 1 अप्रैल, 2014 को 128वीं बैठक, 12 मई, 2014 को 129वीं बैठक, 27 तथा 28 मई, 2014 को 130वीं बैठक, 11 जून तथा 12 जून, 2014 को 131वीं बैठक, 26 जून तथा 27 जून, 2014 को 132वीं बैठक, 05 जुलाई, 2014 को 133वीं बैठक, 26 जुलाई, 2014 को 134वीं बैठक, 31 अगस्त तथा 1 सितम्बर, 2014 को 135वीं बैठक, 26 सितम्बर, 2014 को 136वीं बैठक, 16 अक्टूबर, 2014 को 137वीं बैठक, 28 नवम्बर, 2014 को 138वीं बैठक, 12 दिसम्बर, 2014 को 139वीं बैठक, 5 फरवरी, 2015 को 140वीं बैठक, 17 मार्च तथा 30 मार्च, 2015 को 141वीं बैठक हुईं।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों और कार्रवाइयों का सारांश नीचे दिया जा रहा है :-

1.0 वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन परिषद् द्वारा रखे गए वास्तुविद् रजिस्टर में नामों को फिर से चढ़ाना :

परिषद् ने अपनी 62वीं बैठक में 01.02.2014 से 10.08.2014 तक की अवधि में 1338 चूककर्ता वास्तुविदों के नामों को वास्तुविद् रजिस्टर में फिर से दर्ज करने का अनुमोदन प्रदान किया। इन वास्तुविदों के नाम अपेक्षित फीस प्राप्त हो जाने के बाद वास्तुविद् रजिस्टर में पुनः दर्ज किए गए थे।

परिषद् ने अपनी 63वीं बैठक में 11.08.2014 से 12.01.2014 तक की अवधि में 587 चूककर्ता वास्तुविदों के नाम वास्तुविद् रजिस्टर में फिर से दर्ज करने का अनुमोदन प्रदान किया। इन वास्तुविदों के नाम अपेक्षित फीस प्राप्त हो जाने के बाद वास्तुविद् रजिस्टर में पुनः दर्ज किए गए थे।

रिपोर्टाधीन अवधि में परिषद् ने वास्तुविदों से रु. 20,02,000/- की रेस्टोरेशन फीस वसूल की तथा वास्तुविदों से रु. 86,31,540/- की जुर्माना राशि उनके पंजीकरण के नवीनीकरण न करवाने एवं साथ ही परिषद् द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण-पत्र को जमा न करने हेतु वसूल किया गया।

2.0 निवेदन करने पर तथा निघन होने पर वास्तुविद् रजिस्टर से नामों को हटाना :

परिषद् ने अपनी 62वीं बैठक में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 29(1)(ए) के तहत निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम भी उनके द्वारा निवेदन करने पर हटा दिए :-

1. श्री विनोदचंद्र एम. शाह (सीए/75/1242), अहमदाबाद; तथा
2. श्री डी. आर. करनालकर (सीए/79/5073), पुणे;

परिषद् ने अपनी 62वीं बैठक में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 29(1)(बी) के अधीन निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम उनकी मृत्यु पर वास्तुविद् रजिस्टर से हटा दिए :-

- 1) श्री अनिल डी. राजे (सीए/79/5146), मुंबई;
- 2) सुश्री सुधा एल. पाटकर (सीए/75/1839), मुंबई;
- 3) श्री जगदीश ठक्कर (सीए/88/11509), मुंबई;
- 4) श्री मोहनदास क्लीपुरायथ (सीए/88/11344), कालीकट;

इसके अतिरिक्त परिषद् ने अपनी 63वीं बैठक में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 29(1)(क) के तहत निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम भी उनके द्वारा निवेदन करने पर हटा दिए :-

1. श्री एस. एन. करखनीस, पुणे, (सीए/75/910);
2. श्री नोशिर एदल खरास, मुंबई (सीए/75/783);
3. सुश्री सुपरना गांगुली, कोलकता (सीए/96/20106);
4. श्री महोहर वी. पाठक, पुणे (सीए/83/6579);
5. श्री डी. डी. मिस्त्री, ग्लास्खनबरी, यू.एस.ए. (सीए/79/4968);
6. श्री पी. पी. पाटेकर, ठाणे (सीए/84/8688);
7. श्री पी. एल. नाटू, पुणे (सीए/86/10128);
8. सुश्री रीनू अचा जोन, कोट्टायम (सीए/2010/49165);
9. श्री ललित टी. पटेल, मुंबई (सीए/75/1495);
10. श्री वी. वी. कनाडे, पुणे (सीए/81/6103);
11. श्री के. एस. राघव, चेन्नई (सीए/78/4604); तथा

परिषद् ने अपनी 63वीं बैठक में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 29(1)(ख) के अधीन निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम उनकी मृत्यु पर वास्तुविद् रजिस्टर से हटा दिए :-

1. श्री एम. एस. कनीटकर, पुणे (सीए/75/1564);
2. श्री सत्य पॉल नायर, नई दिल्ली (सीए/76/2391);
3. श्री डी. के. वैद्य, ठाणे (सीए/75/488);
4. श्री डी. प्रमाकर, मुंबई (सीए/75/2251);
5. श्री एम. सी. तेंदुलकर, मुंबई (सीए/75/2253);
6. श्री एस. वी. कुंटे, ठाणे (सीए/75/660);
7. श्री आर. एच. वाडेकर, कल्याण (सीए/75/1947);
8. श्री रोलिन्द्रो ढकहर, शिलांग (सीए/77/3942);
9. श्री आर. एम. बोहरा, मुंबई (सीए/82/7131);
10. श्री एस. गुरुनाथन, चेन्नई (सीए/78/4676);
11. श्री के. के. सेठ, नई दिल्ली (सीए/76/3200);

12. श्री जे. आर. कामथ, उत्तर कनाड़ा (सीए/85/9252);
 13. श्री जी. पी. पटवर्धन, रत्नागिरी (सीए/84/8473);
 14. श्री पी. जी. अरस, इंदौर (सीए/87/10895);
 15. श्री ऋषी राज, रूड़की (सीए/83/7737);
 16. श्री एस. निजवान, दिल्ली (सीए/83/7748);
 17. श्री केवल ठक्कर, मुंबई (सीए/88/11509);
 18. श्री एन. एच. धरंगधारिया, भोपाल (सीए/75/11);
- 3.0 अनुशासन समिति की बैठकें :
- अनुशासन समिति की बैठकें दिनांक 5 व 6 मई, 2014, 23 व 24 जुलाई, 2014, 17 व 18 अक्टूबर, 2014 को आयोजित हुई तथा समिति ने बैठक में संदर्भित मामलों के संबंध में पूर्ण परिषद् को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
- अध्यक्ष श्रीमती शिप्रा मित्रा की परिषद् तथा अनुशासन समिति की सदस्यता दिनांक 01.11.2015 से समाप्त हुई। समिति के अब केवल दो सदस्य हैं। परिषद् ने अनुशासन समिति के पुनर्गठन तथा भारत के राजपत्र में इसके गठन को अधिसूचित करने के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय से अनुरोध किया है।
- 4.0 वास्तुविदों का पंजीकरण :
- परिषद् वास्तुविद् अधिनियम की धारा 25 के अधीन वास्तुविद् के रूप में ऐसे व्यक्ति का नाम पंजीकृत करती है, जो भारत में रहता हो या वास्तुकला का व्यवसाय करता हो और जो मान्यता प्राप्त वास्तुकलात्मक अर्हता रखता है।
- वर्ष (1 अप्रैल, 2014 से 31 मार्च, 2015) के दौरान परिषद् ने वास्तुविदों के रूप में 4954 व्यक्तियों का पंजीकरण किया। इस प्रकार 31 मार्च, 2015 तक वास्तुकला परिषद् में वास्तुविदों के रूप में कुल 67924 व्यक्तियों का पंजीकरण किया गया है। इस प्रकार, 31 मार्च, 2015 तक 54842 व्यक्तियों के वास्तुकला परिषद् में वैध पंजीकरण हैं।
- 5.0 केन्द्र सरकार द्वारा वास्तुविद् अधिनियम के तहत बनाये गए नियमों के अधीन निर्धारित विविध फीस का संशोधन :
- मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने राजपत्र अधिसूचना सं. 173 दिनांक 06.08.2014 के तहत वास्तुकला परिषद् नियमावली, 1973 में संशोधन किया तथा वास्तुविदों से ली जाने वाली फीस को निम्नानुसार तय किया है:
- (i) पंजीकरण : ₹ 600
 - (ii) नवीकरण : ₹ 600 तथा एकवारगी ₹ 6000
 - (iii) अतिरिक्त अर्हता : ₹ 200
 - (iv) अनुलिपि प्रमाणपत्र : ₹ 600
- परिषद् ने उपरोक्त को कार्यान्वित किया तथा उपरोक्त निर्धारित फीस के अनुसार वास्तुविदों से फीस ली जा रही है।
- 6.0 वास्तुकला परिषद् कार्यालय के लिए अतिरिक्त कार्यस्थल का क्रय :
- परिषद् ने नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एन.बी.सी.सी.) से एन.बी.सी.सी. सेंटर, ओखला (फेज-1), नई दिल्ली के 7वें तल में अतिरिक्त कार्यालय स्थल की खरीद की है जिसका कुल क्षेत्र 7885 वर्ग फीट एवं 18 रिजर्व कार पार्किंग सुविधा के साथ निर्धारित मूल्य ₹. 22,260/- प्रति वर्ग फीट है।
- रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, परिषद् ने एन.बी.सी.सी. को ₹. 14,79,67,074/- (रुपये चौदह करोड़ उन्चासी लाख सड़सठ हजार चौहत्तर मात्र) की राशि भुगतान की है।
- 7.0 वास्तुविदों के विरुद्ध व्यावसायिक कदाचार हेतु शिकायतें :
- प्रत्येक वास्तुविद् से यह अपेक्षा की जाती है कि वह 2003 में संशोधित वास्तुविद् (वृत्तिक आचरण) विनियमावली, 1989 के उपबंधों का पूर्णतः पालन करेगा। वास्तुविद् अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी वास्तुविद् को जांच-पड़ताल और सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के बाद वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी।
- परिषद् द्वारा अपनी 62वीं बैठक में वास्तुविदों के विरुद्ध व्यावसायिक अनाचार संबंधी 2 शिकायतों पर विचार किया गया जिसमें सभी शिकायतों को खारिज कर दिया गया।
- परिषद् द्वारा अपनी 63वीं बैठक में वास्तुविदों के विरुद्ध व्यावसायिक अनाचार संबंधी 12 शिकायतों पर विचार किया गया जिसमें 3 शिकायतों को विस्तृत जांच हेतु अनुशासन समिति को सौंप दिया गया तथा 7 शिकायतों को खारिज कर दिया गया। एक मामला इसलिए स्थगित रखा गया क्योंकि यह दूसरे मामले में न्यायालय में विचाराधीन है। अतः

परिषद् द्वारा प्रतिवादी वास्तुविद् को अपना बचाव पक्ष प्रस्तुत करने हेतु एक और अवसर प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

8.0 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना की आपूर्ति:

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, परिषद् द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधिनियम 87 आवेदकों की सूचना की आपूर्ति की गई तथा 3 अपीलों का निपटारा किया गया।

9.0 वास्तुकला संस्थानों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया :

परिषद् को बी. आर्की के प्रारम्भ करने तथा बी. आर्की कोर्स के विस्तार/अतिरिक्त इनटेक के लिए संस्थानों से ऑनलाइन आवेदन/प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं। संस्थानों द्वारा संकाय सदस्यों तथा संरचनात्मक सुविधा सहित संस्थान की सभी जानकारी इंटरनेट के माध्यम से ऑनलाइन प्रस्तुत की जा रही है तथा उनके द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित उनके निरीक्षण तथा निरीक्षण रिपोर्ट को निरीक्षकों द्वारा ऑनलाइन भरा जाएगा।

यह परिषद् को संस्थानों के पूरे डाटाबेस तथा उनकी शैक्षणिक तथा संरचनात्मक सुविधाओं पर नजर रखने में सहजता लाएगा। शिक्षा सत्र 2015-16 के लिए निरीक्षण ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से हो रहे हैं।

10.0 शिक्षा-सत्र 2014-2015 में नई संस्थाओं का अनुमोदन :

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बैचलर ऑफ आर्कीटेक्चर पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए 52 नए संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किया गया तथा पहले से विद्यमान 10 संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अनुमोदन प्रदान किया गया।

इस प्रकार, 2014-2015 में परिषद् के अनुमोदन से वास्तुकला में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम प्रदान करने वाली संस्थानों की कुल संख्या बढ़कर 379 हो गई। छात्रों की वार्षिक प्रवेश संख्या अनुमानतः पूर्वस्नातक (यूजी) स्तर पर 23741, स्नातकोत्तर (पीजी) स्तर पर 1820 और पीएच-डी स्तर पर 30 है।

11.0 शिक्षा-सत्र 2014-2015 से आगे अनुमोदन की अवधि बढ़ाना :

वास्तुकला परिषद् ने शिक्षा-सत्र 2014-2015 के लिए 136 संस्थानों के लिए बी. आर्की और एम. आर्की पाठ्यक्रमों के अनुमोदन या अन्यथा की अवधि निम्नलिखित ढंग से बढ़ाई :

- (i) वे संस्थाएं जिनमें 2014-2015 से आगे वर्तमान या अधिक दाखिले सहित बी. आर्की. पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाई गई : 136
- (ii) वे संस्थाएं जिनमें 2014-2015 से आगे के लिए वर्तमान या अधिक दाखिले सहित एम. आर्की. पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाई गई : 14
- (iii) वे संस्थाएं जिनमें वर्ष 2014-2015 के लिए कोई "प्रवेश नहीं" घोषित किया गया : शून्य
- (iv) वे संस्थाएं जिनकी 2014-2015 हेतु 'मान्यता वापस' ली गई : 2

परिषद् ने शिक्षा-सत्र 2014-2015 के लिए उन संस्थाओं का निरीक्षण करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है जिनका निरीक्षण किया जाना है।

12.0 केंद्रीय सरकार द्वारा वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधिनियम विदेशी अर्हताओं की मान्यता :

परिषद् को विदेशी यूनिवर्सिटियों द्वारा दी गई वास्तुकला डिग्री को मान्यता देने के लिए केंद्रीय सरकार से संदर्भ प्राप्त हुए हैं।

विदेशी योग्यताओं को मान्यता देने संबंधी सभी मामलों की जांच करने एवं विचार करने के लिए परिषद् द्वारा विदेशी योग्यताओं को मान्यता प्रदान करने हेतु आवेदनों पर विचार करने के लिए एक उप-समिति गठित की गई है जिसमें प्रो. मिलिंद कोलेगल, कन्वेनर, प्रो. जितेंद्र सिंह, सदस्य, श्री ए. डी. शिरोड, सदस्य तथा प्रो. डी. वी. सोलोमन, सदस्य सम्मिलित है।

समिति ने 63वीं बैठक में अपनी रिपोर्ट पूर्ण परिषद् को प्रस्तुत की, तथापि, पूर्ण परिषद् ने पुनः जांच हेतु उप-समिति को मामले भेजे।

13.0 वास्तुविद् अधिनियम, 1972 में विस्तृत संशोधन :

परिषद् ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को वास्तुविद् अधिनियम, 1972 में विस्तृत संशोधन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। मंत्रालय ने उक्त कार्य को पूर्ण करने हेतु श्री जे. आर. शल्ला, वास्तुविद् पूर्व-अध्यक्ष, वास्तुकला परिषद् की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है।

समिति ने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा इस मामले में मंत्रालय से कार्रवाई प्रतिक्षित है।

14.0 वास्तुविदों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम :

एनआईएएस ने पुणे तथा अन्य शहरों में शिक्षकों और पेशेवर वास्तुविदों के लिए 15 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए। कार्यक्रमों में देशभर से 378 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वर्ष के दौरान "एकेडमिक लीडरशीप वर्कशॉप" विषय पर वास्तुकला संस्थानों में प्रमुखों और वरिष्ठ संकायों के लिए 04 उद्यमी विकास कार्यक्रम आयोजित किए गए।

कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम :

क्रम सं	कार्यक्रम का नाम	समन्वयक का नाम	तारीख	सहभागियों की संख्या
1.	रीजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, कोलकता पश्चिम बंगाल	प्रो. जयश्री देशपांडे	09-13 जून, 2014	13
2.	रीजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, वल्लभ विद्यानगर, गुजरात	प्रो. जयश्री देशपांडे	16-20 जून, 2014	25
3.	रीजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, कोल्हापुर, महाराष्ट्र	प्रो. जयश्री देशपांडे	23-27 जून, 2014	20
4.	रिसर्च इन आर्किटेक्चर	डॉ. वसुधा गोखले, एवं डॉ. अभिजीत नाटू	07-11 जुलाई, 2014	15
5.	फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम	प्रो. जयश्री देशपांडे	04-14 अगस्त, 2014	16
6.	सेलिब्रेटींग हेबिटेट: दी रियल, दी वरच्यूल एंड दी इमेजीनरी	प्रो. बी. वी. दोषी	11 अक्टूबर, 2014	38
7.	रीजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, हैदराबाद, तेलंगाना	प्रो. जयश्री देशपांडे	30 अक्टूबर से 03 नवम्बर, 2014	29
8.	सेलिब्रेटींग हेबिटेट: दी रियल, दी वरच्यूल एंड दी इमेजीनरी	प्रो. बी. वी. दोषी	31 अक्टूबर, 2014	18
9.	फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम	प्रो. जयश्री देशपांडे	10-20 नवम्बर, 2014	18
10.	बी. वी. दोषी-ए रेट्रोस्पेक्टिव	प्रो. बी. वी. दोषी	28 नवंबर, 2014	18
11.	रीजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, नवी मुंबई, महाराष्ट्र	प्रो. जयश्री देशपांडे	06-10 जनवरी, 2015	28
12.	रीजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, तिरुवनंतपुरम, केरल	प्रो. जयश्री देशपांडे	19-23 जनवरी, 2015	31
13.	रीजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, बांद्रा, महाराष्ट्र	प्रो. अख्तर चौहान	28 जनवरी से 02 फरवरी, 2015	42
14.	रीजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, लखनऊ	प्रो. जयश्री देशपांडे	09-13 फरवरी, 2015	24
15.	"अंडरस्टैंडिंग हैरिटेज ऑफ 20 सेंच्युरी", आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंटेशन-कंजरवेशन	प्रो. किरण जोशी	09-13 मार्च, 2015	12
कुल प्रतिभागी				347

2. वास्तुकला संस्थानों में प्रमुखों तथा वरिष्ठ संकायों हेतु कार्यशाला :

कार्यक्रम का नाम	समन्वयक का नाम	तारीख	सहभागियों की संख्या
एकेडमिक लीडरशीप कार्यशाला	डॉ. के. रामनारायण	17-19 दिसम्बर, 2014	31

3. उद्यमी विकास कार्यक्रम :

वास्तुविदों को सकारात्मक भविष्य के लिए प्रभावपूर्ण तौर पर नियोजन करने तथा विकास करने में सहायता करने हेतु और युवा वास्तुविदों को सफल उद्यमी बनने हेतु उद्यमी विकास कार्यक्रम (ई डी पी) को चार स्थानों में आयोजित किया गया :-

1. अलाना कॉलेज ऑफ आर्कीटेक्चर, पुणे, महाराष्ट्र
2. डॉ. डी. वाई. पाटील स्कूल ऑफ आर्कीटेक्चर, पुणे, महाराष्ट्र
3. स्कूल ऑफ डिजाइन एंड आर्कीटेक्चर, मनिपाल यूनिवर्सिटी-दुबई कैंपस
4. आर वी एस स्कूल ऑफ आर्कीटेक्चर, कोयंबटूर, तमिलनाडु

15.0 वास्तुकला संस्थानों में दाखिल छात्रों को पंजीकरण नंबर जारी करना :

परिषद् संस्थानों द्वारा दाखिल छात्रों को पंजीकरण संख्या जारी कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों को परिषद् द्वारा निर्धारित पात्रता है तथा साथ ही वे परिषद् द्वारा स्वीकृत इनटेक के अंतर्गत दाखिल हुए हैं।

वर्ष के दौरान, वास्तुकला के कई कॉलेजों की प्रवेश-सूची शिक्षा सत्र 2008-09 से 2014-15 के लिए व्यक्तिगत रूप से जांची जाती थी तथा पंजीकरण संख्या दी जाती थी। वर्ष के दौरान 243 संस्थानों के 12436 छात्रों को पंजीकरण संख्या जारी की गई।

16.0 राष्ट्रीय शोध-प्रबंध पुरस्कार कार्यक्रम :

➤ स्नातक स्तर :

वास्तुकला परिषद् ने एनआइएएसए के माध्यम से युवा प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व-स्नातक शोध-प्रबंध परियोजनाओं हेतु नौवां राष्ट्रीय शोध-प्रबंध पुरस्कार कार्यक्रम शुरू किया। आंचलिक कार्यक्रम निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित किए गए :-

जोन	स्थान	समन्वयकारी कॉलेज
1.	इंदौर	आई.पी.एस. एकेडमीज स्कूल ऑफ आर्कीटेक्चर, इंदौर, मध्य प्रदेश
2.	वड़ोदरा	पारुल इंस्टीट्यूट ऑफ आर्कीटेक्चर एंड रिसर्च, वड़ोदरा, गुजरात
3.	पुणे	एम.सी.ई. सोसाइटीज अलाना कॉलेज ऑफ आर्कीटेक्चर, पुणे, महाराष्ट्र
4.	कोयंबटूर	एसवीएस स्कूल ऑफ आर्कीटेक्चर, कोयंबटूर, तमिलनाडु
5.	चैन्नई	आलिम मुहम्मद सलेह एकेडमी ऑफ आर्कीटेक्चर, चैन्नई, तमिलनाडु

आंचलिक जूरी के निम्नलिखित सदस्य थे :-

1. इंदौर - सुश्री गीता बालकृष्णन, श्री इंद्रनील चैटर्जी, श्री प्रसाद यादव
2. वड़ोदरा - श्री बी. एस. भूषण, सुश्री दीपा मानद्रेकर राव, श्री रवि कदम
3. पुणे - सुश्री अपरणा नरसिंहन, श्री संदीप सेन, श्री यशवंत रामामूर्ति
4. कोयंबटूर - श्री पार्थरंजन दास, श्री सूर्य काकानी, सुश्री बंदना रंजीत सिंह
5. चैन्नई - सुश्री श्रद्धा सेजपाल, श्री उजन घोष, सुश्री यतिन पांडे

राष्ट्रीय जूरी का आयोजन तमिलनाडु चेपटर, चैन्नई सेंटर आई आई ए, चैन्नई में किया गया। नेशनल फाइनल के लिए जूरी के सदस्य थे - सुश्री एपीराडी केसमसुक, श्री के आर जयसीम तथा श्री के. बी. जैन।

➤ स्नातोत्तर स्तर :

परिषद् द्वारा एन आई ए एस ए के माध्यम से स्नातोत्तर शोध-प्रबंध परियोजनाओं के लिए प्रथम शोध-प्रबंध पुरस्कार कार्यक्रम का आरंभ देशभर से वास्तुकला में स्नातोत्तर पाठ्यक्रमों के छात्रों को प्रेरित करने तथा उनका उत्साहवर्धन करने तथा वास्तुकला स्कूलों में अनुसंधान प्रक्रिया के विकास करने के उद्देश्य के साथ किया गया।

राष्ट्रीय जूरी का आयोजन "आयोजन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, जयपुर" में किया गया। नेशनल फाइनल के लिए जूरी के सदस्य थे :- श्री के. जयसीम, श्री यतिन पांड्ये तथा श्री पार्थोरंजन दास।

17.0 राष्ट्रीय वास्तुकला अभिक्षमता परीक्षा :

ऐसे भावी छात्रों के लिए जो वास्तुकला पाठ्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं, उनके लिए वास्तुकला में राष्ट्रीय अभिक्षमता परीक्षा दो चरणों यथा प्रथम चरण 14.03.2014 से 25.05.2014 तथा द्वितीय चरण 01.06.2014 से 31.08.2014 तक आयोजित की गई।

नाटा परीक्षा की स्थिति निम्नानुसार है :-

- विशिष्ट उम्मीदवारों की कुल संख्या : 39511
- एपाईटमेंट की कुल संख्या : 45638
- परिणाम घोषित : 38100
- कुल उत्तीर्ण उम्मीदवार : (विशिष्ट प्रयास) 28723
- उच्चतम स्कोर : (विशिष्ट प्रयास) 156
- कुल उत्तीर्ण उम्मीदवार : (औसत पश्चात यदि लागू हो) 29861
- उच्चतम स्कोर : (औसत पश्चात यदि लागू हो) 156

18.0 वास्तुकलात्मक प्रतियोगिताएं:

परिषद् वास्तुकलात्मक प्रतियोगिताओं का संचालन करके अनेक प्रवर्तकों की उन्हें भवनों के निर्माण के लिए वास्तुविदों का चयन करने में सहायता करती रही है।

परिषद् ने अनेक लोक प्राधिकारियों को लिखा है कि वे वास्तुविदों की नियुक्ति निविदा या बोली प्रक्रिया के जरिए न्यूनतम फीस की अदायगी के आधार पर न करके वास्तुकलात्मक प्रतियोगिता दिशा-निर्देशों के अनुसार करे। प्रवर्तकों और प्रतियोगियों ने प्रतियोगिताओं का संचालन करने में जब भी परिषद् से दिशा-निर्देशों की आवश्यकता पड़ी उन्हें परिषद् द्वारा तुरंत उपलब्ध कराया गया है।

19.0 वास्तुविद् अधिनियम, 1972 और इसके अधीन तैयार विनियमों को लागू करना:

वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 36 और 37 के अधीन वास्तुविद् के रूप में अयथार्थ रूप प्रस्तुत करने के साथ-साथ वास्तुकला की पदवी और शैली का दुरुपयोग निषेध है और इस का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है। वास्तुविद् की पदवी और शैली के दुरुपयोग के संबंध में शिकायत मिलने पर परिषद् अनुच्छेद 39 के अधीन प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराधों का संज्ञान लेने के लिए शिकायत दर्ज कराती है।

परिषद् उन व्यक्तियों के विरुद्ध मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली में दर्ज की गई आपराधिक शिकायतों का तेजी से अनुसरण कर रही है जिन्होंने वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबंधों का उल्लंघन किया है और वास्तुविद् की पदवी और शैली का अयथार्थ रूप प्रस्तुत या दुरुपयोग किया है। इस समय 16 शिकायतें न्यायालय के समक्ष न्यायनिर्णयन के लिए लंबित हैं।

इसके अतिरिक्त विभिन्न न्यायालयों में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उपबंधों को लागू करने से संबंधित और अन्य संबंधित मामलों के लगभग 106 मामले लंबित पड़े हैं जिनमें परिषद् एक पक्षकार है।

20.0 सी.ओ.ए.-आई.आई.ए. राष्ट्रीय सम्मेलन "एड्यूकेशन टूडे फॉर दी प्रोफेशन टूमॉरो" दिनांक 01.09.2014

परिषद् द्वारा भारतीय वास्तुविद् संस्थान के सहयोग से दिनांक 01.09.2014 को "एड्यूकेशन टूडे फॉर दी प्रोफेशन टूमॉरो" विषय पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। परिषद् द्वारा भविष्य की नीति बनाने तथा वास्तुकलात्मक शिक्षा हेतु नवीन मानदंडों एवं मानकों पर विचार-विमर्श हेतु इस सम्मेलन में आई.आई.ए. के प्रतिनिधियों तथा सभी वास्तुकलात्मक संस्थानों से प्रतिनिधि, विशेषज्ञ तथा शिक्षाविदों को आमंत्रित किया गया। इस सम्मेलन में लगभग 400 प्रतिभागी सम्मिलित हुए।

21.0 सतत स्मार्ट शहरों पर दिनांक 16.03.2015 को संगोष्ठी का आयोजन

परिषद् द्वारा मिडास कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, चैन्नई के सहयोग से दिनांक 16.03.2015 को "सतत स्मार्ट शहर" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस विषय पर माननीय शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार श्री एम. वैकयया नायडू, माननीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, श्री वाई. एस. चौधरी, भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम तथा श्री श्री रविशंकर जी ने अपने विचार प्रकट किए। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत सरकार के स्मार्ट शहर कार्यक्रम हेतु शिफारिशें प्रदान करना था। इस संगोष्ठी में संस्थानों, तथा वास्तुकला विज्ञान के छात्रों ने भाग लिया।

22.0 प्रकाशन:

परिषद् द्वारा इसकी पत्रिका "टाइम स्पेस एंड प्यूपल" मैसर्स लाइफ स्टाइल मीडिया, नई दिल्ली के सहयोग से मुद्रित एवं प्रकाशित की जा रही है।

परिषद् द्वारा अपनी वास्तुविदों की डायरेक्टरी तथा व्यावसायिक कामकाज की हैंडबुक, 2015 के मुद्रण एवं प्रकाशन की प्रक्रिया शुरू की गई है। हैंडबुक को सभी वैध पंजीकरण प्राप्त वास्तुविदों तथा वास्तुकला संस्थानों को निःशुल्क भेजी गई है।

भारत में वास्तुकला कॉलेजों हेतु निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित एवं वितरित की गई हैं :-

- आर्काइविंग आर्कीटेक्चर थीसिस 2013।
- हार्नेसिंग दी इंटेंजीबल, बी. वी. दोषी।

निम्नलिखित पुस्तकें डिजाइनिंग की प्रक्रिया में है तथा शीघ्र ही मुद्रित एवं प्रकाशित की जाएंगी :-

- क) आर्काइविंग आर्कीटेक्चरल थीसिस 2011
- ख) आर्काइविंग आर्कीटेक्चरल थीसिस 2012
- ग) आर्काइविंग आर्कीटेक्चरल थीसिस 2014
- घ) प्री-डिजाइन, श्री नरेश शाह

निम्नलिखित संदर्भित पत्रिकाएं डिजाइनिंग की प्रक्रिया में हैं तथा शीघ्र ही मुद्रित एवं प्रकाशित की जाएंगी :-

- क) जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर (जे सी ओ ए) आर्कीटेक्चर-एडुकेशन एंड प्रेक्टिस
- ख) जनरल ऑफ काउंसिल ऑफ आर्कीटेक्चर (जे सी ओ ए) हाउसिंग

23.0 आभार :

वास्तुकला परिषद् अपने स्वयं के संसाधन द्वारा अत्यल्प स्टाफ के साथ अखिल भारतीय स्तर पर दक्षतापूर्वक काम कर रही है। परिषद् केंद्रीय सरकार, सभी राज्य सरकारों और सभी वास्तुकला विद्यालयों को वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के कार्यान्वयन में उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग के लिए उनका धन्यवाद और प्रशंसा करती है। परिषद् अपने पदाधिकारियों और वास्तुकला परिषद् के सदस्यों, विशेषज्ञों, लेखापरीक्षकों, अधिवक्ताओं, अन्य व्यावसायिक निकायों, प्रैक्टिस कर रहे वास्तुविदों, शिक्षाविदों और सभी विज्ञापन दाताओं के प्रति वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उद्देश्यों को बढ़ावा देने में उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग, मार्ग-दर्शन, सलाह तथा समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करती है।

परिषद् अपने अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करती है जिन्होंने वर्ष 2014-2015 के दौरान उसे उपयोगी सेवाएं प्रदान कीं।

दिनांक: 10.08.2015

आर.के. ओबराय
रजिस्ट्रार

शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार

जे-189, भूमिगत तल, जे-ब्लोक मार्केट के समीप,
साकेत, नई दिल्ली-110017 भारत
फोन: +91-11-41555445,
मो. +91-9810570480, 9811488709

लेखापरीक्षक रिपोर्ट

हमने "वास्तुकला परिषद्", इंडिया हैबिटेड सेंटर, कोर 6 ए, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 के 31 मार्च, 2015 के संलग्न तुलन-पत्र तथा 31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा एवं प्राप्ति तथा अदायगी लेखा, जिसमें परिषद् के कार्यालयों के सभी लेखे शामिल हैं, की परीक्षा कर ली है। ये वित्तीय विवरण परिषद् के प्रबंधन की जिम्मेदारी हैं और हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय व्यक्त करना है।

हमने आज तक अधिसूचित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी सामान्यतः स्वीकृत किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की है। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते हैं ताकि वित्तीय विवरण किसी विशेष गलत विवरण से मुक्त रहें। लेखापरीक्षा में नमूना के आधार पर जांच करना और वित्तीय विवरणों में राशि एवं प्रकटनों का पोषक साक्ष्य शामिल होता है। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती है जिसमें धोखे या गलती से वित्तीय विवरणों के गलत भौतिक विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल होता है। उन जोखिम मूल्यांकनों के निर्माण में लेखापरीक्षक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के डिजाइन के अनुसार वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुतीकरण और निर्माण के लिए दिए गए आंतरिक नियंत्रणों का उपयोग करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं किन्तु आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशीलता पर मत व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं हैं। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमान और समूचे वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है। हमें विश्वास है कि अनुलग्नक सं. 14- लेखाओं के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां नोट सं. 02 से 16 तक हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रस्तुत करती है।

हम यह भी रिपोर्ट देते हैं कि :

1. हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;
2. हमारी राय में, हमने लेखा बहियों की जो जांच की है उससे यह प्रकट होता है कि परिषद् ने वास्तुविद् अधिनियम, 1972 द्वारा अपेक्षित रूप में उचित लेखा बहियां रखी हुई हैं;
3. तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखा और प्राप्ति एवं अदायगी लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं; और
4. हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है और हमें जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं उनके अनुसार संलग्न अनुसूचियों सहित और लेखाकरण नीतियों के भाग के रूप में टिप्पणियों के साथ पठित उक्त लेखा विवरण द्वारा-
 - (क) 31 मार्च, 2015 को परिषद् की कार्यस्थिति से संबंधित तुलन-पत्र और
 - (ख) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय संबंधित आय-व्यय लेखे।
 - (ग) उसी तारीख को समाप्त वर्ष के प्राप्ति तथा अदायगी लेखे का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है।

कृते शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स,
सनदी लेखाकार (एफ आर एन 008621 सी)

सीए, शैलेश कुमार
भागीदार,
सदस्यता सं. एफ-077337
दिनांक: 11.08.2015
स्थान: नई दिल्ली

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली
(भारत की संसद द्वारा पारित वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित)
(लाभेतर संगठन-सरकारी प्राधिकरण के रूप में स्थापित)

31 मार्च 2015 को तुलन-पत्र

(राशि रूप में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
समग्र / पूंजीगत निधि तथा देयताएँ			
भारत सरकार से उद्दिष्ट निधियाँ	1	150000.00	150000.00
चिंहित निधि	2	279601856.00	203898755.00
चालू देयताएँ	3	124603894.00	39786121.00
अधिशेष / घाटा लेखा	7	1616713.73	4216.39
कुल		405972463.73	243839092.39
परिसंपत्तियाँ			
स्थायी परिसंपत्तियाँ	4	641212.30	6662559.00
निवेश	5	198700000.00	176200000.00
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	6	200860342.43	60976533.39
कुल		405972463.73	243839092.39
लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पणियाँ	14		

वास्तुकला परिषद् के लिए और उनकी ओर से

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार,
कृते शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स,
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 008621 सी

(रजिस्ट्रार)
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2015

(प्रेसीडेंट)

(शैलेश कुमार)
सदस्यता सं. 077337

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली
(भारत की संसद द्वारा पारित वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित)
(लाभेतर संगठन-सरकारी प्राधिकरण के रूप में स्थापित)

31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय

(राशि रूप में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
आय			
फीस	8	21379339.00	21183109.00
अन्य आय	9	55675102.20	32062538.00
अर्जित व्याज	10	21235463.00	17492930.31
कुल (क)		98289904.20	70738577.31
व्यय			
स्थापना व्यय	11	11876142.00	13616640.00
प्रशासनिक व्यय	12	19864184.16	19387204.40
शिक्षा व अभ्यास के उन्नय संबंधी व्यय	13	4614250.00	7842130.00
मूल्यहास	4	322830.70	364994.00
कुल (ख)		36677406.86	41210968.40
व्यय से अधिक आय का शेष (क-ख)		61612497.34	29527608.91
अधिशेष तथा घाटा लेखा में अंतरित		61612497.34	29527608.91
लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पणियाँ	14		

वास्तुकला परिषद् के लिए और उनकी ओर से

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार,
कृते शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स,
सनदी लेखाकार
एफ आर एन 008621 सी

(रजिस्ट्रार)
स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2015

(प्रेसीडेंट)

(शैलेश कुमार)
सदस्यता सं. 077337

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली

(भारत की संसद द्वारा पारित वास्तुविद अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित)
(लामेतर संगठन-सरकारी प्राधिकरण के रूप में स्थापित)

31 मार्च, 2015 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति तथा अदायगी लेखा

(राशि रुपए में)

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	गतवर्ष	अदायगियाँ	चालू वर्ष	गत वर्ष
1. रोकड जमा			1. व्यय		
क) नकदी शेष	54,010.00	12,000.00	क) स्थापना व्यय (अनुसूची 11 के अनुसार)	11,876,142.00	1,36,16,640.00
ख) बैंक शेष			ख) प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 12 के अनुसार)	1,98,64,184.16	1,93,87,204.40
1. चालू खाते में	-17,414.33	1,54,413.67	ग) शिक्षा व अभ्यास के उन्मय संबंधी व्यय (अनुसूची 13 के अनुरूप)	46,14,250.00	78,42,130.00
2. बचत खाते में	3,27,53,139.21	2,67,43,637.39			
3. ड्राफ्ट हाथ में	3,27,240.00	9,22,710.00	2. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से की गई अदायगियाँ		
2. प्राप्त निधियाँ			क) नाटा व्यय	1,82,14,531.80	1,69,02,545.00
क) मूल्यांकन फीस	2,47,30,000.00	3,70,25,711.00	ख) मूल्यांकन एवं निरीक्षण व्यय	1,90,61,064.00	3,43,86,708.00
ख) माध्यस्थता फीस	32,000.00	46,500.00	ग) मध्यस्थता व्यय	32,000.00	44,667.00
			घ) तुल्यता व्यय	0.00	0.00
3. प्राप्त व्याज			3. निवेश और जमा की गई राशियाँ		
क) बैंक जमा पर	1,86,59,828.00	1,58,09,792.31	क) उद्विष्ट / अक्षय निधियों से	19,50,00,000.00	7,42,00,000.00
ख) ऋण, पेशगियाँ आदि	20,67,502.00	5,39,481.00			
ग) बचत बैंक खाते पर	5,08,133.00	3,84,775.00	4. स्थायी परिसंपत्तियों तथा पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय		
घ) आयकर विभाग से	0.00	72,921.00	क) स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	72,393.00	10,17,168.00
4. फीस से आय					
क) पंजीकरण फीस	28,96,200.00	20,04,500.00	5. अन्य अदायगियाँ		
ख) वार्षिक नवीकरण फीस	25,66,100.00	23,94,450.00	क) बैंक / कंपनियों द्वारा काटा गया टीडीएस	20,90,956.00	1,65,35,53.90
ग) पुनःस्थापन फीस	20,05,000.00	22,18,000.00	ख) स्टाफ को पेशगियाँ	74,68,007.00	81,66,500.00
घ) अनुलिपि प्रमाण-पत्र फीस	2,49,300.00	2,11,500.00	ग) अन्य पेशगियाँ	12,04,478.00	27,35,001.00
ड.) वास्तुविदों से जुर्माना	86,31,540.00	98,41,810.00	घ) लेखागत आंशिक फीस	54,470.00	71,634.00

च) एक बारगी नवीकरण फीस का प्रभाजन	50,30,899.00	45,12,549.00	ड.) एक बारगी नवीकरण फीस का प्रभाजन	50,30,899.00	45,12,549.00
छ) अतिरिक्त अर्हता फीस	300.00	300.00	च) नाटा फीस पेशगियों	1,23,70,000.00	96,33,000.00
5. अन्य आय			छ) मूल्यांकन फीस पेशगियों	2,39,00,000.00	1,12,00,000.00
क) प्रकाशनों से आय	22,98,249.00	67,822.00	ज) प्राप्ति योग्य राशि	0.00	58,212.00
ख) आर टी आई फीस	770.00	750.00	झ) वर्ष के लिए बैंक ब्याज	29,79,429.00	2,90,838.00
ग) नाटा फीस	5,34,30,000.00	4,62,94,687.00	ञ) स्टाफ पेशगियों से ब्याज लाभ	20,75,919.00	0.00
घ) विविध आय	18,979.00	28,810.00	ट) नाटा 2015 के लिए पूर्वदाता व्यय	4,18,875.00	1,38,284.00
ड.) संस्थानों से दण्ड/जुर्माना	1,24,72,700.00	0.00	ठ) कार्यालय स्थल के लिए एनसीबी पेशगियों	14,79,67,074.00	0.00
6. अन्य प्राप्तिर्थाँ			ड) ईआरपी अनुप्रयोग के लिए एनआईसी पेशगियों	27,03,409.00	0.00
क) एक बारगी नवीकरण फीस	2,07,34,000.00	1,80,55,000.00	6. रोकड़ जमा		
ख) वर्ष के दौरान परिपक्व एफडीआर	17,25,00,000.00	3,00,00,000.00	क) नकदी शेष	82,380.00	54,010.00
ग) स्टाफ से वसूल की गई पेशगियों	19,85,641.00	13,83,652.00	ख) बैंक शेष		
घ) वसूल की गई अन्य पेशगियों	2,42,307.00	9,72,192.00	1) घालू खाते में	3,22,904.67	-17,414.33
ड.) टीडीएस वापसी	0.00	8,57,899.00	2) बचत खाते में	85,15,311.25	3,27,53,139.21
च) ब्याज समायोजन से अर्जित ब्याज	6,02,345.00	1,01,496.81	3) उपलब्ध ड्राफ्ट	5,70,960.00	3,27,240.00
छ) कर/ राशि/पोस्टेज देय	67,62,964.00	20,46,250.00			
ज) नाटा फीस पेशगी	37,500.00	1,23,70,000.00			
झ) विज्ञापन दाताओं से प्राप्त राशि	1,36,845.00	0.00			
ञ) मूल्यांकन फीस पेशगियों	3,45,50,000.00	2,39,00,000.00			
ट) बैंक ओवरड्राफ्ट से लाभ	8,02,23,560.00	0.00			
कुल	48,64,89,636.88	23,89,73,609.18	कुल	48,64,89,636.88	23,89,73,609.18

वास्तुकला परिषद् के लिए और उसकी ओर से

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार,
कृते, शैलेश अग्रवाल एंड एसोशिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफ आर एन 008621 सी)

स्थान : नई दिल्ली
दिनांक : 11.08.2015

ह./-
(प्रिंसीडेंट)

ह./-
(शैलेश कुमार) एफ-077337

EMPLOYEES PROVIDENT FUND ORGANISATION

Delhi-110052, the 18th December 2015

S.O. No. : ACC/DL&UK/VC/1(4)/2009/1475—Whereas it appears to the Central Provident Fund Commissioner that the employer and the majority of the employees in relation to the following establishments have agreed that the provisions of the Employees' Provident Fund & Miscellaneous Provisions Act, 1952 (19 of 1952), should be made applicable to the respective establishments namely :—

Sl. No.	Code No.	Name of the establishments	Date of coverage
REGION : DELHI (SOUTH)			
1.	DS/NHP/1065042	M/s. Kritavi Projects Private Limited	01.12.2014
2.	DS/NHP/1305518	M/s. Aachvis IT SEZ Infra Private Limited	01.04.2015
3.	DS/NHP/1064697	M/s. Bharat Rural Livelihoods Foundation	01.01.2015
4.	DS/NHP/1040084	M/s. BSB Edge Private Limited	01.10.2014
5.	DS/NHP/940978	M/s. Alliance Regional Technical Support Hub	01.04.2013
6.	DS/NHP/943253	M/s. Dalit Foundation	01.04.2013
REGION : DELHI (NORTH)			
7.	DL/CPM/43585	M/s. Swets & Zeitlinger India Private Limited	10.03.2012
8.	DL/CPM/44537	M/s. Central Civil Services Cultural & Sports Board	01.03.2013

Now, therefore, in exercise of the power conferred by sub-section (4) of Section 1 of the said Act, Central Provident Fund Commissioner hereby apply the provisions of the said Act to the above mentioned establishments with effect from the date mentioned against their names.

K. L. TANEJA
Additional Central Provident Fund Commissioner
(Delhi & Uttarakhand)

COUNCIL OF ARCHITECTURE
(A Statutory Body of Govt. of India)

New Delhi-110003

ANNUAL REPORT 2014 -2015

The Council of Architecture, constituted under the Architects Act, 1972 under Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, deems it a pleasure to present the Annual Report and Audited Statement of Accounts for the financial year ending on 31.03.2015.

Organisational Structure:

President, Council of Architecture is head of the organization under whose overall charge the Council functions. Prof. Uday Gadkari is the President Council of Architecture.

Statutory and Other Committees:

In order to carry out the objectives of the Act and Regulations framed thereunder, the Council constituted the statutory, committees, namely, the Executive Committee, which functions as an Executive Authority of the Council, Disciplinary Committee, which investigates the complaints and holds enquiries relating to professional misconduct of architects, Advisory Committee (Appeals), which hears the appeals of the applicants whose applications for registration are rejected. Apart from these several other committees are constituted from time to time for particular/special purposes.

The Council constituted a Sub-Committee to examine the references received from Central Government for recognition of Foreign qualifications.

The Executive Committee also constituted Scrutiny Committee to scrutinize the proposals/applications received from new institutions for introduction B. Arch. Course and from existing institutions for extension of approval/additional intake.

Meetings of the Council and its Committees:

During the period under report, the Council met twice. The 62nd meeting was held on 02.09.2014 at New Delhi and 63rd meeting was held on 06.02.2015 at Alibaug, Maharashtra.

During the year 2014-2015, the Executive Committee met 14 times i.e. 128th Meeting on 1st April, 2014, 129th Meeting on 12th May, 2014, 130th meeting on 27th and 28th May, 2014, 131st Meeting on 11th June and 12th June, 2014, 132nd Meeting on 26th and 27th June, 2014, 133rd Meeting on 5th July, 2014, 134th Meeting on 26th July, 2014, 135th Meeting on 31st August and 1st September, 2014, 136th Meeting on 26th September, 2014, 137th Meeting on 16th October, 2014, 138th Meeting on 28th November, 2014, 139th Meeting on 12th December, 2014, 140th Meeting on 5th February, 2015, 141st Meeting on 17th March, 2015 and 30th March, 2015.

The various decisions and actions taken by the Council during the year under report are summarized as under:

1.0 RESTORATION OF NAMES TO THE REGISTER OF ARCHITECTS MAINTAINED BY THE COUNCIL UNDER THE ARCHITECTS ACT, 1972:

The Council at its 62nd Meeting restored names of 1338 Defaulting Architects, whose names were restored to the Register of Architects on receipt of requisite fees, during the period 01.02.2014 to 10.08.2014.

The Council at its 63rd meeting restored names of 587 Defaulting Architects, whose names were restored to the Register of Architects on the receipt of requisite fee, during the period 11.08.2014 to 12.01.2015.

During the period of under report the Council has recovered Rs.20,02,000/- as Restoration fee from Architects and Rs. 86,31,540/- as fine from Architects for not carrying renewal of their registration and also not surrendering the Certificate of Registration issued by the Council.

2.0 REMOVAL OF NAMES FROM THE REGISTER OF ARCHITECTS DUE TO REQUEST AND DEATH :

The Council at its 62nd Meeting removed the names of following Architects from the Register of Architects at their request as provided under Section 29(1) (a) of the Architects Act, 1972:

- 1) Mr. Vinodchandra M. Shah, CA/75/1242, Ahmadabad; and
- 2) Mr. D.R. Karnalkar, CA/79/5073, Pune.

The Council at its 62nd meeting removed the names of following architects from the Register of Architects upon their death as provided under section 29(1) (b) of the Architects Act, 1972:

- 1) Mr. Anil D. Raje, CA/79/5146, Mumbai ;
- 2) Ms Sudha L. Patkar, CA/75/1839, Mumbai;
- 3) Mr. Jagdish Thakkar, CA/88/11509, Mumbai; and
- 4) Mr. Mohandas Kalipurayath, CA/88/11344, Calicut.

The Council at its 63rd meeting removed the names of following Architects from the Register of Architects at their request as provided under section 29(1) (a) of the Architects Act, 1972:

- 1) Shri S. N. Karkhanis, Pune (CA/75/910);
- 2) Shri Noshir Adel Kharas, Mumbai (CA/75/783);
- 3) Ms. Suparna Ganguly, Kolkata (CA/96/20106);
- 4) Shri Mahohar V. Phatak, Pune (CA/83/6579);
- 5) Shri D. D. Mistry, Glastonbury, USA (CA/79/4968);
- 6) Shri P. P. Patekar, Thane (CA/84/8688);
- 7) Shri P. L. Natu, Pune (CA/86/10128);
- 8) Ms. Reenu Acha John, Kottayam, (CA/2010/49165);
- 9) Shri Lalit T. Patel, Mumbai (CA/75/1495);
- 10) Shri V. V. Kanade, Pune (CA/81/6103);
- 11) Shri K. S. Raghav, Chennai (CA/78/4604); and

The Council at its 63rd meeting removed the names of following architects from the Register of Architects upon their death as provided under Section 29 (1) (b) of the Architects Act, 1972 :

- 1) Shri M.S. Kanitkar, Pune (CA/75/1564);

- 2) Shri Satya Paul Nayar, New Delhi (CA/76/2391);
- 3) Shri D. K. Vaidya, Thane (CA/75/488);
- 4) Shri D. Prabhakar, Mumbai (CA/75/2251);
- 5) Shri M. C. Tendulkar, Mumbai (CA/75/2253);
- 6) Shri S. V. Kunte, Thane (CA/75/660);
- 7) Shri R.H. Vadekar, Kalyan (CA/75/1947);
- 8) Shri Rolindro Dkhar, Shillong (CA/77/3942);
- 9) Shri R. M. Bohra, Mumbai (CA/82/7131);
- 10) Shri S. Gurunathan, Chennai (CA/78/4676);
- 11) Shri K. K. Seth, New Delhi (CA/76/3200);
- 12) Shri J. R. Kamath, Uttar Kanada (CA/85/9252);
- 13) Shri G. P. Patvardhan, Ratnagiri (CA/84/8473);
- 14) Shri P. G. Aras, Indore (CA/87/10895);
- 15) Shri Rishi Raj, Roorkee (CA/83/7737)
- 16) Shri S. Nijhwan, Delhi (CA/83/7748)
- 17) Shri Kewal Thakkar, Mumbai (CA/88/11509)
- 18) Shri N. H. Dharangdharia, Bhopal (CA/75/11)

3.0 MEETINGS OF THE DISCIPLINARY COMMITTEE :

The Disciplinary Committee held its meetings on 5th and 6th May, 2014, 23rd and 24th July 2014, 17th and 18th October, 2014 and submitted its report to the full Council in respect of cases referred to it.

The Chairperson Mrs. Sipra Mitra has ceased to be a member of the Council and Disciplinary Committee w.e.f 01.11.2015. The Committee is now having only two members. The Council has requested the Ministry of Human Resource Development to reconstitute the Disciplinary Committee and notify its constitution in the gazette of India.

4.0 REGISTRATION OF ARCHITECTS:

The Council registers a person as an architect under Section 25 of the Act, who resides or carries on the profession of architecture in India and holds, a recognized architectural qualification.

During the year (1st April, 2014 to 31st March, 2015), the Council has registered 4954 persons as architects and with this as on 31st March, 2015, a total of 67924 persons have been registered as architects with Council of Architecture. On 31st March, 2015, 54842 persons hold valid registration as an Architect with the Council of Architecture.

5.0 REVISION OF VARIOUS FEES PRESCRIBED UNDER THE ARCHITECTS ACT AND RULES FRAMED THEREUNDER BY THE CENTRAL GOVERNMENT.

The Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, vide Gazette Notification No.173 dated 06.08.2014, amended the Council of Architecture Rules, 1973 and fixed the fees to be charged from Architects as under :

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------------|
| (i) Registration | = Rs. 600 |
| (ii) Renewal | = Rs. 600 and One time Rs. 6000/- |
| (iii) Additional Qualification | = Rs. 200 |
| (iv) Duplicate Certificate | = Rs. 600 |

The Council has implemented the same and is charging fees from Architects as prescribed above.

6.0 PURCHASE OF ADDITIONAL OFFICE SPACE FOR THE OFFICE OF COUNCIL OF ARCHITECTURE.

The Council has purchased additional Office space from the National Building Construction Corporation Ltd. (NBCC), at NBCC- Centre, Okhla (Phase-I), New Delhi at 7th Floor with total saleable area 7,885 Sq.ft. with a fixed/ reserved price of Rs.22,260/- per sq ft. having 18 reserve car park facility.

During the year under report, the Council has paid a sum of Rs.14,79,67,074/- (Rupees fourteen crores seventy nine lakhs sixty seven thousand and seventy four only) to NBCC.

7.0 COMPLAINTS FOR PROFESSIONAL MISCONDUCT AGAINST ARCHITECTS:

Each and every architect is required to observe and abide by the provisions of the Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989, as amended in 2003. The Act provides for taking action against an architect who is found guilty of professional misconduct upon investigation and after providing opportunity of being heard to the Architect.

The Council at its 62nd Meeting considered 2 complaints of alleged professional misconduct against Architects and both the complaints were dismissed.

The Council at its 63rd meeting considered 12 complaints of alleged professional misconduct against architects. 3 complaints were referred to Disciplinary Committee and 7 complaints were dismissed. While one case was kept in abeyance as the matter is sub-judice in another case the Council decided to give one more chance to Respondent Architect to submit his statement of defence.

8.0 SUPPLY OF INFORMATION UNDER RTI ACT, 2005 :

During the period under report the Council has supplied information to 87 applicants AND disposed 3 Appeals under the RTI Act, 2005.

9.0 ONLINE APPLICATIONS PROCESS FOR ARCHITECTURAL INSTITUTIONS:

The Council has started receiving applications/proposals from Institutions for introduction of B. Arch. as well as for extension of B. Arch. courses/Additional intake online. All the details of the Institution including faculty members and infrastructure facility are submitted by the Institutions online through Internet and their inspections based on the information furnished by them and inspections report will be filled by Inspectors online.

This will enable the Council to have full database of Institutions and to monitor their academic and infrastructure facilities easily. The inspections for the academic session 2015-2016 are being through online system.

10.0 APPROVAL OF NEW INSTITUTIONS IN THE ACADEMIC SESSION 2014 – 2015:

During the year under report 52 new institutions were granted approval to impart Bachelor of Architecture Courses and 10 existing institutions were granted approval for PG Courses.

With this, the total number of institutions imparting recognized courses in architecture with the approval of Council has risen to 379 in 2014-2015. The annual intake of students at Undergraduate level is 23741 (approx.), Postgraduate level is 1820 and at Ph.D is 30.

11.0 EXTENSION OF APPROVAL FOR THE ACADEMIC SESSION 2014-2015 ONWARDS:

The Council granted extension of approval or otherwise for UG & PG Courses to 136 institutions for the academic session 2014-2015 as under:

- i) Institutions granted extension of approval for B. Arch. Course for 2014-2015 onwards with existing or higher intake: 136
- ii) Institutions granted extension of approval for M. Arch. Course for 2014-2015 onwards with existing or higher intake: 14
- iii) Institutions put on 'No Admission' for 2014-2015: NIL
- iv) Institutions put on 'Withdrawal of approval' for 2014-2015: 2

The Council has also initiated the process of inspection for the academic session 2015-2016 of institutions, which are due for inspections.

12.0 RECOGNITION OF FOREIGN QUALIFICATIONS UNDER THE ARCHITECTS ACT, 1972, BY THE CENTRAL GOVERNMENT:

The Council has received references from the Central Government for recognition of Architectural Degree awarded by foreign Universities.

A Sub-Committee consisting of Prof. Milind Kollegal, Convenor, Prof. Jitendra Singh, Member, Shri A. D. Shirode, Member, and Prof. D.V. Solomon, Member, for considering requests of Recognition of Foreign

Qualifications has been constituted by the Council to examine and consider all cases relating to recognition of foreign qualifications.

The Committee submitted its report to Full Council at its 63rd Meeting, however, the full Council again referred the cases back to the Sub-Committee for re-examination.

13.0 COMPREHENSIVE AMENDMENTS TO THE ARCHITECTS ACT, 1972

The Council submitted a proposal for comprehensive amendments in the Architects Act, 1972 to the Ministry of Human Resource Development, Govt. of India. The Ministry has constituted a Committee under the Chairmanship of Shri J. R. Bhalla, Architect, Past-President, Council of Architecture for finalizing the same.

The Committee has submitted its report to the Ministry of Human Resource Development. Further, action from the ministry in the matter is awaited.

14.0 TRAINING PROGRAMMES FOR ARCHITECTS:

NIASA has conducted 15 training programmes for teachers and professional architects in Pune and other cities. The programmes were attended by more than 378 participants across the country.

One workshop for heads and senior faculty in architecture institutions titled the "Academic Leadership Workshop" and 04 Entrepreneurship Development Programme for to-be and young architects were also conducted during the last year.

The details of the programmes are as follows:

1. Teacher Training Programme:

Sr. No	Name of Programme	Name of Coordinator	Dates	No. of Part.
1	Regional Faculty Induction Programme at Kolkata, West Bengal	Prof. Jayashree Deshpande	09 th - 13 th June, 2014	13
2	Regional Faculty Induction Programme at Vallabh Vidhyanagar, Gujarat	Prof. Jayashree Deshpande	16th - 20th June, 2014.	25
3	Regional Faculty Induction Programme at Kolhapur, Maharashtra	Prof. Jayashree Deshpande	23rd - 27th June, 2014.	20
4	Research in Architecture	Dr. Vasudha Gokhale, & Dr. Abhijit Natu	07th - 11th July, 2014	15
5	Faculty Induction Programme	Prof. Jayashree Deshpande	04th - 14th August, 2014	16
6	Celebrating Habitat: The Real, The Virtual and The Imaginary	Prof. B.V. Doshi	11th Oct. 2014	38
7	Regional Faculty Induction Programme at Hyderabad, Telangana	Prof. Jayashree Deshpande	30th Oct. to 03rd Nov. 2014	29
8	Celebrating Habitat: The Real, The Virtual and The Imaginary	Prof. B.V. Doshi	31st Oct. 2014	18
9	Faculty Induction Programme	Prof. Jayashree Deshpande	10th - 20th November, 2014	18
10	B.V. Doshi - A Retrospective	Prof. B.V. Doshi	28 th Nov. 2014	18
11	Regional Faculty Induction Programme at Navi Mumbai, Maharashtra	Prof. Jayashree Deshpande	06th - 10th January, 2015	28
12	Regional Faculty Induction Programme at Thiruvananthapuram, Kerala	Prof. Jayashree Deshpande	19th -23rd January 2015	31

Sr. No	Name of Programme	Name of Coordinator	Dates	No. of Part.
13	Regional Faculty Induction Programme at Bandra, Maharashtra	Prof. Akhtar Chauhan	28th January to 02nd February, 2015	42
14	Regional Faculty Induction Programme at Lucknow,	Prof. Jayashree Deshpande	09th -13th February, 2015	24
15	"Understanding Heritage of the 20th Century", Identification Documentation-Conservation	Prof. Kiran Joshi	09th -13th March, 2015	12
Total participants				347

2. Workshop for Heads and Senior Faculty in Architecture Institutions:

Sr. No	Name of Programme	Name of Coordinator	Dates	No. of Participants
01	Academic Leadership Workshop	Dr. K. Ramnarayan	17th - 19th Dec. 2014	31

3. Entrepreneurship Development Programme

To help architects to effectively plan for a positive future and to develop and mentor young and to be architects to become successful entrepreneurs, Entrepreneurship Development Programme (EDP) were held at four places:

1. Allana College of Architecture, Pune, Maharashtra
2. Dr. DY Patil School of Architecture, Pune, Maharashtra
3. School of Design and Architecture, Manipal University-Dubai Campus
4. RVS School of Architecture, Coimbatore, Tamil Nadu

15.0 ISSUANCE OF ENROLMENT NUMBERS TO STUDENTS ADMITTED IN ARCHITECTURAL INSTITUTIONS:

The Council is issuing enrolment numbers to students admitted by the Institution to ensure that the students have eligibility prescribed by the Council and also admitted within the intake sanctioned by the Council.

During the year Admission lists of several colleges of architecture, for the academic years 2008-09 to 2014-15 were manually verified and enrolment numbers were allotted. During the year 12436 students belonging to 243 Institutions were issued enrolment numbers .

16.0 NATIONAL THESIS AWARDS PROGRAM :

➤ Undergraduate Level:

The Council of Architecture through NIASA initiated the ninth National Thesis Awards Program for undergraduate thesis projects to encourage the young talent. The zonal juries were held at the following places.

Zone	Place	Coordinating College
1.	Indore	I. P. S. Academy's School of Architecture, Indore, Madhya Pradesh
2.	Vadodara	Parul Institute of Architecture and Research, Vadodara, Gujarat
3.	Pune	M.C.E.Society's Allana College of Architecture, Pune, Maharashtra
4.	Coimbatore	SVS School of Architecture, Coimbatore, Tamil Nadu
5.	Chennai	Aalim Muhammed Salegh Academy of Architecture, Chennai, Tamil Nadu

The members of Jury for Zonals were:

1. Indore - Ms. Gita Balkrishnan, Mr. Indranil Chatterjee, Mr. Prasad Yadav
2. Vadodara - Mr. BS Bhooshan, Ms. Deepa Mandrekar Rao, Mr. Ravi Kadam
3. Pune - Ms. Aparna Narsimhan, Mr. Sandeep Sen, Mr. Yeshwant Ramamurthy
4. Coimbatore - Mr. Partharanjan Das, Mr. Surya Kakani, Ms. Vandana Ranjit Singh
5. Chennai - Ms. Shraddha Sejpal, Mr. Ujan Ghosh, Ms. Yatin Pandya

The National Jury was held at Tamil Nadu Chapter, Chennai Center of IIA, at Chennai. The members of Jury for National finals were Ms. Apiradee Kasemsook, Mr. KR Jaisim, and Mr. K.B. Jain.

➤ Post Graduate:

The Council through NIASA initiated the first National Thesis Awards Program for Postgraduate thesis projects with an objective to encourage and motivate students of masters' courses in architecture from across the country and develop a research culture amongst schools of architecture.

The National Jury was held at Aayojan School of Architecture, Jaipur. The members of Jury for National finals were Mr. K Jaisim, Mr. Yatin Pandya and Mr. Parthoranjn Das.

17.0 NATIONAL APTITUDE TEST IN ARCHITECTURE

National Aptitude Test in Architecture was conducted in two phases i.e. Phase – I from 14.03.2014 to 25.05.2014 and Phase – II from 01.06.2014 to 31.08.2014 for the prospective candidates looking forward to take up Architecture as career.

The Status of the NATA Examination of 2014 is as follows:

- Total Unique Candidates 39511
- Total Number of Appointments 45638
- Results Declared 38100
- Total Candidates Passed (Attempt Specific) 28723
- Highest Score (Attempt Specific) 156
- Total Candidates Passed (Post Averaging if applicable) 29861
- Highest Score (Post Averaging if applicable) 156

18.0 ARCHITECTURAL COMPETITIONS:

The Council is assisting a number of promoters for the conduct of the architectural design competitions for selection of architects for construction of their buildings.

The Council also wrote to several public authorities to appoint architects as per Architectural Competition Guidelines and not to appoint through tender or bid process on payment of lowest fee. The guidelines and inputs required by the promoters and competitors from the Council in the conduct of the competitions were also made available as and when requests were received.

19.0 ENFORCEMENT OF THE ARCHITECTS ACT, 1972 AND REGULATIONS FRAMED THEREUNDER :

Sections 36 and 37 of the Architects Act, 1972, impose prohibition on misrepresentation as an architect as well as misuse of title and style of architect and violation of the prohibition is a punishable offence. Upon receipt of the complaints of misuse of title and style of architect, the Council files complaints u/s 39 before the First Class Magistrate for taking cognizance of the offences.

The Council is vigorously pursuing such criminal complaints filed before the Metropolitan Magistrate in New Delhi, against persons who have violated the provisions of the Architects Act, 1972 and misrepresented or misused the title and style of architect. Presently about 16 complaints are pending for adjudication before the Court.

Further, a total of about 106 cases are pending in different courts on issues relating to architectural education and profession and other related matters where Council is one of the parties.

20.0 COA – IIA NATIONAL CONFERENCE ON “EDUCATION TODAY FOR THE PROFESSION TOMORROW” ON 01.09.2014

The Council in association with the Indian Institute of Architects organized a National Conference on 01.09.2014 on the topic of “Education today for the Profession tomorrow”. The Council invited representatives from all Architectural Institutions, Experts, Academicians and also IIA representatives in this conference to deliberate on the current norms and standards for architectural education and chalk out strategy for future. This conference was attended by about 400 invitees.

21.0 SYMPOSIUM ON SUSTAINABLE SMART CITIES ON 16.03.2015

The Council in association with MIDAS College of Architecture, Chennai organized a symposium on “Sustainable Smart Cities” on 16.03.2015. The Hon’ble Minister of Urban Development, Govt. of India Shri M. Venkaih Naidu, Hon’ble Minister of State of Science and Technology Shri Y. S. Chowdary, Former President of India, Dr.A.P.J. Abdul Kalam and Sri Sri Ravi Shankar Ji were the delegates who spoke on the topic. This programme was aimed at making recommendations for Smart Cities programme of Government of India. The symposium was attended by representatives of the Institutions, Council members, IIA representatives and architectural students.

22.0 PUBLICATIONS

The Council is printing and publishing its magazine Architecture “Time Space and People”, with assistance of M/s. Lifestyle Media, New Delhi.

The process for printing and publishing the Directory of Architects and Handbook of Professional Documents 2015 has been initiated. The Handbook is being sent free of cost to all Architects holding valid registration and Architectural Institutions.

The following books have been published and distributed to the colleges of architecture in India :

- Archiving Architecture Thesis 2013.
- Harnessing the Intangible, by Ar. B. V. Doshi.

The following books are in the process of designing and are expected to be printed and published shortly:

- a. Archiving Architectural Thesis 2011.
- b. Archiving Architectural Thesis 2012.
- c. Archiving Architectural Thesis 2014.
- d. Predesign, by Mr. Naresh Shah

The following refereed journals are in the process of designing and are expected to be printed and published shortly:

- a. Journal of Council of Architecture (JCOA) – Architecture-Education & Practice
- b. Journal of Council of Architecture (JCOA) - Housing

23.0 ACKNOWLEDGEMENTS

The Council is functioning with skeleton staff strength and carrying out its statutory functions efficiently on all India level out of its own resources. The Council would like to place on record its appreciation and gratitude to the Central Government and its officers, all State Governments and all Schools of Architecture, for extending their cooperation to Council in implementation of the Architects Act, 1972. The Council also expresses its gratitude to the office bearers and members of the Council of Architecture, Experts, Auditor, Advocates, other professional bodies, practising architects, academicians and all advertisers for their cooperation, guidance, advice and support for furthering the objectives of the Architects Act, 1972.

The Council expresses its gratitude to its Officers & employees and all those who have rendered useful services to it during the year 2014 -2015.

R. K. OBEROI
Registrar

Dated : 10.08.2015

SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS



J-189, Basement, Near J-Block Market,
 Saket, New Delhi - 110017 INDIA
 Phone : +91-11-41555445
 Mob. : +91-9810570480, 9811488709

AUDITORS' REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of "COUNCIL OF ARCHITECTURE", India Habitat Centre, Core 6-A, 1st Floor, Lodhi Road, New Delhi – 110003, as at 31st March, 2015, the Income & Expenditure Account and the Receipts & Payment Account for the year ended on 31st March, 2015, incorporating the accounts of all the Council Offices. These financial statements are the responsibility of the management of the Council. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.

We have conducted the audit in accordance with the generally accepted Auditing & Accounting Standards, notified till date, issued by The Institute of Chartered Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedure selected depends on the auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controls given to the preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the internal controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimates made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient & appropriate to provide a basis for our audit opinion subject to note nos. 02 to 16 of Annexure No. 14 – Significant Accounting Policies & Notes forming part of Accounts.

We further report that:

1. We have obtained all the information and explanation, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit;
2. In our opinion, proper books of accounts as required by Architects Act, 1972 have been kept by the Council in so far as appears from our examination of such books;
3. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Account dealt with the report are in agreement with the books of account; and
4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said statement of accounts together with the schedules attached and read with the accounting policies and notes forming part of accounts give a true and fair view:-
 - a) In the case of Balance Sheet of the statement of affairs of the Council as at 31st March, 2015 and
 - b) In case of Income & Expenditure Account of the excess of Income over Expenditure for the year ended on that date.
 - c) In case of Receipts & Payments Account of the receipts and payments flows for the year ended on that date.

For SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES
 CHARTERED ACCOUNTANTS (FRN 008621C)

CA. SHAILESH KUMAR
 PARTNER
 M. NO. F-077337
 Date : 11.08.2015
 Place: New Delhi





COUNCIL OF ARCHITECTURE : NEW DELHI

(Established under the Architects Act, 1972 enacted by the Parliament of India)

(NON-PROFIT ORGANISATION- SETUP AS A GOVERNMENT AUTHORITY)

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2015

(Amount – Rs.)

	Schedule	Current Year	Previous Year
<u>CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES</u>			
CAPITAL CONTRIBUTION FROM GOVT.OF INDIA	1	150000.00	150000.00
EARMARKED FUNDS	2	279601856.00	203898755.00
CURRENT LIABILITIES	3	124603894.00	39786121.00
SURPLUS / DEFICIT ACCOUNT	7	1616713.73	4216.39
TOTAL		405972463.73	243839092.39
<u>ASSETS</u>			
FIXED ASSETS	4	6412121.30	6662559.00
INVESTMENTS	5	198700000.00	176200000.00
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	6	200860342.43	60976533.39
TOTAL		405972463.73	243839092.39
ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS	14		

For and on behalf of
COUNCIL OF ARCHITECTURE




 (REGISTRAR)
 
 (PRESIDENT)

Place : New Delhi
Date : 11.08.2015

In terms of our separate report of even date
For SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES



 Chartered Accountants
 FRN 008621C
 (SHAILESH KUMAR)
 M.N.077337








COUNCIL OF ARCHITECTURE : NEW DELHI

(Established under the Architects Act, 1972 enacted by the Parliament of India)
(NON-PROFIT ORGANISATION- SETUP AS A GOVERNMENT AUTHORITY)

INCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED ON 31ST MARCH, 2015 (Amount – Rs.)

	Schedule	Current Year	Previous Year
INCOME			
Fees	8	21379339.00	21183109.00
Other Income	9	55675102.20	32062538.00
Interest Earned	10	21235463.00	17492930.31
TOTAL (A)		98289904.20	70738577.31
EXPENDITURE			
Establishment Expenses	11	11876142.00	13616640.00
Administrative Expenses	12	19864184.16	19387204.40
Expenses related to Promotion of Education & Practice	13	4614250.00	7842130.00
Depreciation	4	322830.70	364994.00
TOTAL (B)		36677406.86	41210968.40
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		61612497.34	29527608.91
Transferred to Surplus and Deficit Account		61612497.34	29527608.91
ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS	14		

For and on behalf of
COUNCIL OF ARCHITECTURE

 (REGISTRAR)

 (PRESIDENT)

Place : New Delhi
Date : 11.08.2015

In terms of our separate report of even date
For SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES


 Chartered Accountants
 FRN 0086210

 (SHAILESH KUMAR)
 M.N.077337

COUNCIL OF ARCHITECTURE: NEW DELHI
(Established under the Architects Act, 1972 enacted by the Parliament of India)
NON-PROFIT ORGANISATION: SETUP AS A GOVT. AUTHORITY

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH, 2015

	RECEIPTS		PAYMENTS		Interest - B/L
	Current Year	Previous Year	Current Year	Previous Year	
I.					
Opening Balance					
a) Cash in hand	34,019.00	12,999.00			
b) Bank Balances					
1) In Current accounts	47,414.33	1,54,413.67			
2) Savings Accounts	3,27,53,139.31	2,67,43,817.79			
3) Death in Hand	1,27,249.00	1,27,249.00			
II.					
Funds Received					
a) Evaluations Fees	2,47,30,000.00	1,76,25,711.00			
b) Arbitration Fee	32,000.00	46,500.00			
III.					
Interest Received					
a) On Bank deposits	1,86,35,823.00	1,50,79,712.31			
b) Loans, Advances etc.	20,67,202.00	3,39,481.00			
c) On Savings Bank Account	5,08,133.00	3,84,775.00			
d) Earn Income Tax Dept.	9.00	7,821.00			
IV.					
Fee Income					
a) Registration Fee	28,96,300.00	20,34,500.00			
b) Annual Renewal Fee	25,46,000.00	21,64,400.00			
c) Resignation Fee	20,00,000.00	2,19,000.00			
d) Duplicate Certificate Fee	2,49,200.00	1,11,500.00			
e) Fee from Architects	86,21,240.00	90,11,800.00			
f) Appointment or One Time Renewal Fees	5,20,899.00	4,12,349.00			
g) Additional Qualification Fee	300.00	300.00			
V.					
Other Receipts					
a) Income from Publications	22,88,349.00	67,822.00			
b) RTI Fees	740.00	100.00			
c) NATA Fee	5,24,10,000.00	4,63,24,687.00			
d) Misc. Income	18,929.00	28,810.00			
e) Fund Penalty from Institutions	1,24,72,200.00	9.00			
VI.					
Other Receipts					
a) One Time Renewal Fee	2,07,14,000.00	1,80,55,000.00			
b) FDR's Maturity during the Year	17,25,00,000.00	1,00,00,000.00			
c) Advances Returned from Staff	19,83,641.00	13,83,612.00			
d) Other Advances Received	2,42,207.00	9,72,192.00			
e) TDS Refund	0.00	6,57,899.00			
f) Interest advanced upon Interest Account	6,02,345.00	1,01,456.81			
g) Transfer of Investment/Share payable	67,42,864.00	20,46,240.00			
h) NATA Fee Advance	37,200.00	1,23,70,000.00			
i) Amount received from Advertisers	1,26,443.00	0.00			
j) Evaluation Fee Advance	3,45,20,000.00	7,23,02,000.00			
k) Bank Overdraft Availed	67,23,580.00	0.00			
TOTAL	48,64,89,036.88	21,89,73,699.18	48,64,89,036.88	21,89,73,699.18	
			TOTAL	TOTAL	22,89,73,699.18

for and on behalf of
COUNCIL OF ARCHITECTURE
(REGISTERED)
(PRESIDENT)



In terms of your separate report of even date
for **SHAILESH AGGARWAL & ASSOCIATES**
Chartered Accountants (Firm-108621C)

(SHAILESH KUMAR) F-077337

Place : New Delhi
Date : 11.03.2015

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
अपलोड एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा ६-प्रकाशित, 2016

UPLOADED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T.
FARIDABAD AND E-PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2016

www.dop.nic.in